

मुख्य सचिव, उप्रोक्त शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2015 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित प्रकरणों से संबंधित आहूत समीक्षा बैठक हेतु ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से संबंधित बिन्दु सच्च्या “(ख)” से संबंधित सूचना।

मा० उच्चतम न्यायालय में योजित वादों के सापेक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति :-

मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण से संबंधित कुल 858 एस.एल.पी. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा योजित की गयी है। अवगत करना है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2011 के विरुद्ध समस्त एस.एल.पी. दायर की गयी है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भी एस.एल.पी. योजित की गयी है।

नोट:- यदि एक ही निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षों द्वारा एस.एल.पी. योजित की जाती है तो प्रतिशपथ पत्र दायर करना आवश्यक नहीं होता है।

मा० उच्च न्यायालय में योजित वादों के सापेक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की स्थिति :-

विभाग/निगम/ संस्था का नाम	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	जनवरी 2012 से 31 अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या	माह अक्टूबर 2014 में योजित वादों की कुल संख्या
1 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	1,152	06	1,158	240	शून्य	240	190	06	196	लम्बित टिट कुल संख्या— 436	याचिकाओं में प्रतिशपथ दाखिल कराये जा युक्त है। शेष सिट याचिकाओं में प्रतिशपथ दाखिल कराये जा रहे हैं।	जिनमें 240 याचिकाओं में प्रतिशपथ दाखिल कराये जा रहे हैं। शेष 196	

कराये जा रहे हैं।

(Signature)